

**बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग**

/पटना, दिनांक- 27.06.22

पत्रांक- गुड्डा (बोर्ड)4815-01-976/2025-2448

प्रेमक,
सज्जवल कुमार सिंह, महासचिव
विशेष सचिव।

सेवा में
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य घटक में राज्य के 34 जिला के कुल 3857 पथों तथा अनुसूचित जाति घटक में राज्य के 4 जिला के कुल 222 पथों अर्थात् राज्य के 38 जिलान्तर्गत कुल 4079 पथों के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

"मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना" के अवयव के रूप में ग्रामीण सड़क सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत सामान्य (GEN) घटक में राज्य के 34 जिला के कुल 3857 पथों (लम्बाई- 6097.610 कि०मी०, कुल राशि रु० 5323.496104 करोड़) तथा अनुसूचित जाति (SC) घटक में राज्य के 4 जिला के कुल 222 पथों (लम्बाई-386.950 कि०मी०, कुल राशि रु० 303.59063 करोड़) अर्थात् राज्य के 38 जिलान्तर्गत कुल 4079 पथों (लम्बाई-6484.560 कि०मी०) के पुनर्निर्माण/उन्नयन/नवीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल सात वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु सक्षम स्तर (मंत्रिपरिषद्) से प्राप्त स्वीकृति के आलोक में कुल राशि रु० 5627.08673 करोड़ रुपये (पाँच हजार छः सौ सत्ताईस करोड़ आठ लाख सड़सठ हजार तीन सौ रुपये) पर समेकित रूप से प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान की जाती है जिसकी पथवार विवरणी निम्नवत् है:-

No.	Division	Block	Project Id	Name of Road	Length (In Km)	Cost of Initial Rectification, Minor Improvements & If required and Surface Renewal (In Lakhs)	Cost of 6-years Operation & Management (0.5-1%) cost (In Lakhs)	Emergent & Price Adjustment @ 15% Cost (In Lakhs)	Administrative Cost and Contingency Cost @ 2.35% +1% (In Lakhs)	Land Acquisition Cost (In Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)	Category (GEN/SC)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Arz	Agam	141673253266	Puriya Ke Pasa To Dhochari	0.700	48.102	6.803	8.116	1.758	0.000	63.980	GEN
2	Arz	Arz	141673253897	Kamari Devrai Path To Manpara (Admanpur) Umr Tola Via Samudharyak Ghawan	1.350	73.810	13.539	13.071	2.832	0.000	103.643	GEN
3	Arz	Arz	1416722756707	Arz Silempur Road Near Ai-Hafiz College To Sanakya East	1.700	97.258	14.410	18.763	3.633	0.000	132.146	GEN
4	Arz	Arz	141673253711	Jura Gaoon More To Jura Gaoon Hote Hays Kuciya Tak	2.800	123.973	19.832	21.571	4.674	0.000	170.050	GEN
5	Arz	Arz	1416732537268	Arz Salempur Path Ke Rampur More To Rampur Gaoon Tak	1.480	80.782	16.036	13.611	2.949	0.000	107.298	GEN
6	Arz	Barhara	141673253896	Jokhari Sohra To Tribhuvani (Via Lp School Sohra)	2.600	137.823	22.543	24.957	5.213	0.000	189.648	GEN
7	Arz	Barhara	141673253708	Arz Barhara Road To Duley Chapra	2.800	103.306	21.704	18.737	4.059	0.000	147.766	GEN
8	Arz	Barhara	141673253710	Makladampur Binsagun Mukhiya Path To Nayya Binsagun Tak Path	0.700	37.658	5.448	6.466	1.481	0.000	50.973	GEN
9	Arz	Barhara	1416732537265	Parasurampur Dikala (Pussy) To Polara	0.430	22.342	4.521	4.029	0.873	0.000	31.765	GEN
10	Arz	Udhudnagar	141673253893	Arz Sahar Path To Khajawa Dufin Tola	1.200	75.902	11.407	13.111	2.841	0.000	103.356	GEN
11	Arz	Udhudnagar	141673253709	Arz-Sahar Path To Akhni (South Tola)	0.300	15.209	1.364	2.486	0.539	0.000	19.598	GEN

h ee

he

No.	Station	Block	Project ID	Name of Road	Length (In Km)	Cost of Initial Road/Shoulder, Bitumen Impregnation or equivalent and Surface Treatment (In Lakhs)	Cost of 5 years Operation & Maintenance (In Lakhs)	Emergency & Price Adjustment (In Lakhs)	Administration Cost and Contingency (In Lakhs)	Land Acquisition Cost (In Lakhs)	Total Estimated Cost (In Lakhs)	Category (GRM/CRP)
327	Village	Sanjivni Bhagpur	410001189 000011	Survey of Road from Sanjivni Bhagpur to Sanjivni Bhagpur	0.000	01.114	1.400	0.275	0.000	0.000	29.488	GRM
328	Village	Sanjivni Bhagpur	410001189 000002	Sanjivni Bhagpur to Sanjivni Bhagpur	1.300	01.700	3.100	0.735	0.100	0.000	35.535	GRM
329	Village	Sanjivni Bhagpur	410001189 000013	Sanjivni Bhagpur to Sanjivni Bhagpur	1.000	01.425	3.004	0.610	0.250	0.000	34.244	GRM
TOTAL					4684.000	43.013.00.000	53,249.10000	7,104.60000	1,024.00000	0.000	1,02,400.00000	

- मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिचय्य उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 103 - सामान्य मद के लिए योजना-उपशीर्ष -0121- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1998.41 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 5995.23 करोड़ (1998.41 X 3= 5995.23) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 08.05.2025 को 14626.07 करोड़ की छूट दी गयी है तथा मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिचय्य उपमुख्य शीर्ष 00 लघु शीर्ष 789 - अनुसूचित जाति के लिए योजना-उपशीर्ष -0107- मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के अधीन 1320.46 करोड़ रुपये का बजट उपबंध है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में निर्धारित BOS-3 की राशि 3961.38 करोड़ (1320.46 X 3= 3961.38) के अतिरिक्त लोक वित्त समिति द्वारा दिनांक 22.05.2025 को 1124.30 करोड़ की छूट दी गयी है। वर्णित पथों के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण एवं संचालन एवं प्रबंधन की कुल राशि उपलब्ध Bank of Sanction की राशि के अन्तर्गत है।
- इस कार्यक्रम अंतर्गत वर्णित पथों के समेकित प्रशासनिक अनुमोदनोपरांत विभागीय संकल्प संख्या-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प संख्या- 1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प संख्या-1718 दिनांक 15.11.2024 में उल्लेखित दिशा निर्देश के आलोक में यथासंभव प्रखंडवार/अनुमंडलवार पथों का पैकेज तैयार कर निविदा के माध्यम से संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा कार्य सम्पन्न कराया जायेगा।
- प्रशासनिक अनुमोदन संबंधित स्वीकृत्यादेश में किसी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर इसका संशोधन विभागीय सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव द्वारा किया जा सकेगा।
- सारणी में अंकित योजनाओं के समेकित प्रशासनिक अनुमोदन के प्रस्ताव एवं उपरोक्त कंडिकाओं (क्रमांक- 1 से 4) पर सक्षम प्राधिकार मंत्रिपरिषद् द्वारा संचिका संख्या- **मु0अ0 (अ0उ0)4515-01-976/2025** में दिनांक-24.06.2025 को मद संख्या -48 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।
- प्रशासनिक स्वीकृति हेतु निर्गत स्वीकृत्यादेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि परिलक्षित होने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता इसकी सूचना मुख्यालय को अविलम्ब देना सुनिश्चित करेंगे।
- पथ के नवीनीकरण/उन्नयन/पुनर्निर्माण तथा संचालन एवं प्रबंधन (कुल 7 वर्ष अवधि तक) कार्य हेतु होने वाले सभी व्यय का विकलन योजना शीर्ष 4515 से प्राप्त होने वाली राशि से भारित होगा।
- संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों को विशिष्ट के अनुरूप कार्यान्वित कराकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

ju el

9. वर्णित योजनाओं से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प सं०-4995 दिनांक 22.09.2023, संकल्प सं०-1259 दिनांक 13.09.2024 एवं संकल्प सं०-1718 दिनांक 15.11.2024 के आलोक में रूटीन अनुक्षण/त्रुटि निवारण अवधि से बाहर पथों को क्षेत्रीय कार्य प्रमंडलों द्वारा विभागीय MIS पर की गई प्रविष्टि के आलोक में जो अद्यतन किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं है, को प्राप्ति पथ सुदृढीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत पुनर्निर्माण/सन्नायन/नदीनीकरण तथा संचालन एवं प्रबंधन कार्य कराया जाना है।
10. योजनाओं के कार्यान्वयन को पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
11. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
12. एकराशनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित योजना किसी अन्य योजना से स्वीकृत अथवा पंचवर्षीय अनुक्षण अवधि के अधीन नहीं है।
13. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर उक्त योजना हेतु राशि की निकासी की जायेगी।
14. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित दिशा निर्देश एवं समय-समय पर निर्गत निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं एवं Bidding Documents में निर्धारित नियमों के अनुसार Initial Rectification, Minor Improvement and Strengthening/Widening, Surface Renewal एवं Operation & Management का कार्य स-समय पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा।
17. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजना के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक विभागीय MIS पर ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
18. सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर योजना के कार्यान्वयन के क्रम में Bidding Documents में निर्धारित निरीक्षण Schedules के अनुसार अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
19. वर्णित योजना का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्डों एवं समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना संबंधित कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल की जिम्मेवारी होगी।

Dr. R.

20. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कड़िका-17 के आलोक में संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की वैधता स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
21. वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888 दिनांक 03.12.2024 की कड़िका-11 के आलोक में स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सचिका संख्या- मु०आ० (अ०उ०)4515-01-976/2025 के पृ०-141/टि० पर दिनांक- 25-06-2025 को प्राप्त है।

ज्ञापक- मु०आ० (अ०उ०)4515-01-976/2025-2448/पटना, दिनांक- 27.06.2025
प्रतिलिपि-संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विश्वासभाजन
(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

विशेष सचिव

ज्ञापक- मु०आ० (अ०उ०)4515-01-976/2025-2448/पटना, दिनांक- 27.06.2025
प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, विकास आयुक्त, बिहार, अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/संबंधित अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल/संबंधित कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई०टी० नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव।